

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

सं. २२५

बनाम करपाराम

किस्म मुकदमा

२२५/२०२१

मु. नं०

०७

वर्ष २०२१



दिनांक

आज्ञा पत्र

११/२/२१

अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आगामी तिथि तक उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर ८४ एवं ८५ कुल किता २ कुल रकबा ४.४२ हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का मंगलुणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें। रेस्पोंडेंट के नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ३१.०३.२०२१ को पेश हों।

[Signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

१२६१-६६
१२-२-२१
१२६७
१२-२-२१

९.३.२१

अपीलांट वकील के आ. पत्र ९८५/२१/५०१/२०२१ पेश हुई पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास चुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

[Signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Not press
B.B. Bhatnagar
9/3/21